(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और गत माह के अन्त तक जिलेवार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) राजस्थान के लिए आबंटित कुल धनराशि में से जिलेवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) राज्य में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) 15 अगस्त को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत घोषित योजनाएं ये हैं:—

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना;
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना; और
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आबंटित कुल राशि और इस्तेमाल की गई कुल राज्यवार राशि अनुपत्र-1 पर है। [देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 54]

वर्ष 1996-97 के दौरान आबंटित कुल राज्यवार राशि अनुपत्र-2 पर है। [देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 54] इस वर्ष अब तक 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां रिलीज की गई है। मंत्रालय में जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, राज्यों को निधियां रिलीज की जा रही है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त निधियों के उपयोग के बारे में अभी सूचना देनी है।

11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में 1995-96 के लिए निधियों के उपयोग की जिलावार सूचना प्राप्त हो चुकी है। बकाया राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र एवं समेकित की जा रही है।

(ग) व (घ) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान जिलों को रिलीज की गई निधियों में से उनके द्वारा किए गए खर्च के बारे में मंत्रालय को न तो अभी तक सूचना दी है और न ही योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या की सूचना दी है। तथापि, राजस्थान सरकार की निधियों के आबंटन की जिलावार स्थिति अनुबंध-3 में दी गई है।

Banning the Visits of U.S. Diplomats to Jammu & Kashmir

2426. SHRI RAM NATH KOVIND: DR. RANBIR SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any requests to ban visits of U.S. diplomats to Jammu & Kashmir;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether such visits would disturb the restoration of normalcy processes presently underhand;

(d) whether Government propose to take any action on these requests; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF THE STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. SUBRAMONIY-AN): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) No Sir.

(d) and (e) There are no restrictions on any body, including foreign diplomats, visiting Jammu and Kashmir. Over the past couple of years several Heads of Foreign Mission based in New Delhi, and other diplomats have visited the State. The Government views such visits as part of its policy of openness and transparency.

राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना

2427. श्री रामजी लाल: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र से मिलने वाली धनराशि को किन-किन राज्यों ने संबंधित मदों के अंतर्गत खर्च नहीं किया है तथा गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य इस बारे में गंभीर नहीं है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के अलघ): (क) और

(ख) राज्यों के समग्र योजना परिव्यय के वित पोषण के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जाती है, राज्यों का क्षेत्र/उपक्षेत्रवार वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित विवरण सहित अनुबंध 1 से 6 में दिया गया है।

(1) अनुपत्र 1 तथा 2 1993-94 की वार्षिक योजना के लिये संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय। [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 55]

(2) अनुपत्र 3 तथा 4 1994-95 की वार्षिक योजना के लिये अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित परिव्यय। [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 55]

(3) अनुपत्र 5 तथा 6 1994-95 की वार्षिक योजना के लिये अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित अनुमोदित परिव्यय। [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 55]

Allocation of Petrol Pump dealerships by Delhi Oil Board

2428. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be please state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem appear-' ing in Hindustan Times dated the 13th July, 19% captioned "petrol pump deal erships";

(b) whether Delhi Oil Board allocated petrol pump dealerships to persons who did not fulfil the minimum stipulated condition for being awarded retail outlets, during the last five years; and

(c) if so, the details of the alleged beneficiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Complaints have been received alleging irregularities in the award of dealerships/distributorships by the Oil Selection Board for Delhi. Irregularities brought to the notice of the Government are inquired into and in proven cases punitive action including termination of dealerships is taken in consultation with the Oil Industry.

Allotment of land to holders of letters of intent

2429. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be please state:

(a) whether Government have issued any direction to the DDA for allotment of land to holders of letters of intent for LPG distributorship to cover the cases upto the 31st December, 1994 and if so, the steps taken so far in the matter of identification and allotment of land for the purpose; and

(b) the number of cases in which the land is likely to be allotted by the end of 1996?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VEN-KATESWARLU): (a) The Government has not issued any direction to the DDA for the allotment of land to holders of letter of intent (LOI) for LPG distributorship.

(b) The DDA has reported that the identificationtarving out of sites is a continuous planning process. During the year 1994, 1995 and 1996 (upto 26.8.1996), 38 sites have been identified out of which 26 sites have been allotted and the LOI holders upto 1993 have been allotted sites. The 12 sites will be allotted to the waiting LOI holders as pet seniority list. Allotment to the remaining LOI holders in the waiting list depends on the availability of sites for which no definite date can be given.

वन्य ग्रामों के लिए प्रदत्त धनराशि का उपयोग न किया जाना

2430. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वन्य ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से प्रदत्त धनराशि का उपयोग करने से वंचित रखा गया है; और